classmate
Date
Page

DATE: 14/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IInd (INDIAN GOVERNMENT ~~& POLITICS~~)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO.-11(ELEVEN)

By,
OM KUMAR SINGH.
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
L.N.M.U, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएँ

अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु भारत का नागरिक होने के साथ-साथ निम्नलिखित में से किसी एक अर्हता या योग्यता को पूरा करना पड़ता है—

(i) किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।

(ii) किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।

(iii) वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो। यह अर्हता वस्तुतः चुनावक्षेत्र को व्यापक करने के लिए रखा गया है। इसके अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले कोई विख्यात विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

✱ न्यायाधीशों की नियुक्ति की किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की शपथ—

संविधान के अनुच्छेद 124(6) में शपथ सम्बंधी प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश—

पद पर पदस्थापित होने के पूर्व सम्बंधित व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है। अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल —

न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। 15 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा अनुच्छेद 124 (2क) जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे।"

न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित त्याग-पत्र देकर अपने पद से हट सकता है या उसे संविधान में उल्लेखित विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया —

अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 'महाभियोग' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनु० 124(5) के अन्तर्गत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से सम्बंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है।

न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। यदि प्रस्ताव से शुरुआत है तो 100 (दो) सदस्यों और यदि राज्य सभा तो

Next

Scanned with CamScanner

50 सदस्यों के हस्ताक्षर, अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तीन व्यक्तियों की समिति गठित होती है, जिसमें (i) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश (ii) किसी अन्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं (iii) एक पारंगत विधिवेत्ता होता है। यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी नहीं पाती है तो यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। यदि दोषी पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले दो-तिहाई (2/3) सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी किया जाता है।

संविधान के अनु० 124(4) में यह प्रावधान है कि न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए, परन्तु 'न्यायाधीश वी० रामास्वामी' के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया (जो महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही है) के दौरान लोकसभा भंग हो जाए तो भी संकल्प Lapse (व्यपगत) नहीं होता।

1992-93 में पहली बार न्यायाधीश वी० रामास्वामी के विरुद्ध उसे हटाए जाने का प्रस्ताव (महाभियोग) लाया गया था, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। इसी प्रकार न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (2017-18) के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए।

—x—x—x—x